Name of the college → APSM College Barauni
Name → Dr. Rajesh Kumar Suman
Designation → [GT] Date → 5-04-2021
Dept → [Economics]
Class → B.A Part-1 [H]
Paper → 2nd
Name of the topic → [Importance of Agriculture Indian Economy]
Unit-0
→ Green Revolution.

⇒ कृषि वित्त [Agriculture finance] → कृषि संबंधी वित्त का वर्गीकरण तीन समयावधियों के आधार पर किया जाता है।

⇒ अल्पकालिक ऋण → [Short term loan] - किसानों द्वारा अल्पकालीन ऋण का उपयोग खेतों की जुताई करने, उन्नत किस्म के बीज खरीदने, उर्वरकों एवं कीटनाशकों खरीदने इत्यादि हेतु किया जाता है। अल्पकालिक ऋण सामान्यतया 15 महीने की अवधि के लिये दिये जाते हैं।

⇒ मध्यकालिक ऋण [Medium term loan] - मध्यकालिक ऋण सामान्यतः 15 महीनों से 5 वर्षों तक की अवधि के लिये जाते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः कृषि यंत्रों एवं मशीनों को क्रय करने एवं अन्य सुधारात्मक कार्यों हेतु किया जाता है।

⇒ दीर्घकालिक ऋण [Long term loan] - सामान्यतः 5 से 20 वर्षों तक की अवधि के लिये प्रदान किये जाने वाले कृषि ऋण को दीर्घकालिक ऋण कहा जाता है। इसका प्रयोग कृषि भूमि क्रय करने, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल आदि क्रय करने हेतु किया जाता है।

⇒ कृषि वित्त स्रोत - [Sources of Agriculture finance]
कृषि वित्त के स्रोतों को सामान्यतया दो भागों में बाँटा जा सकता है -

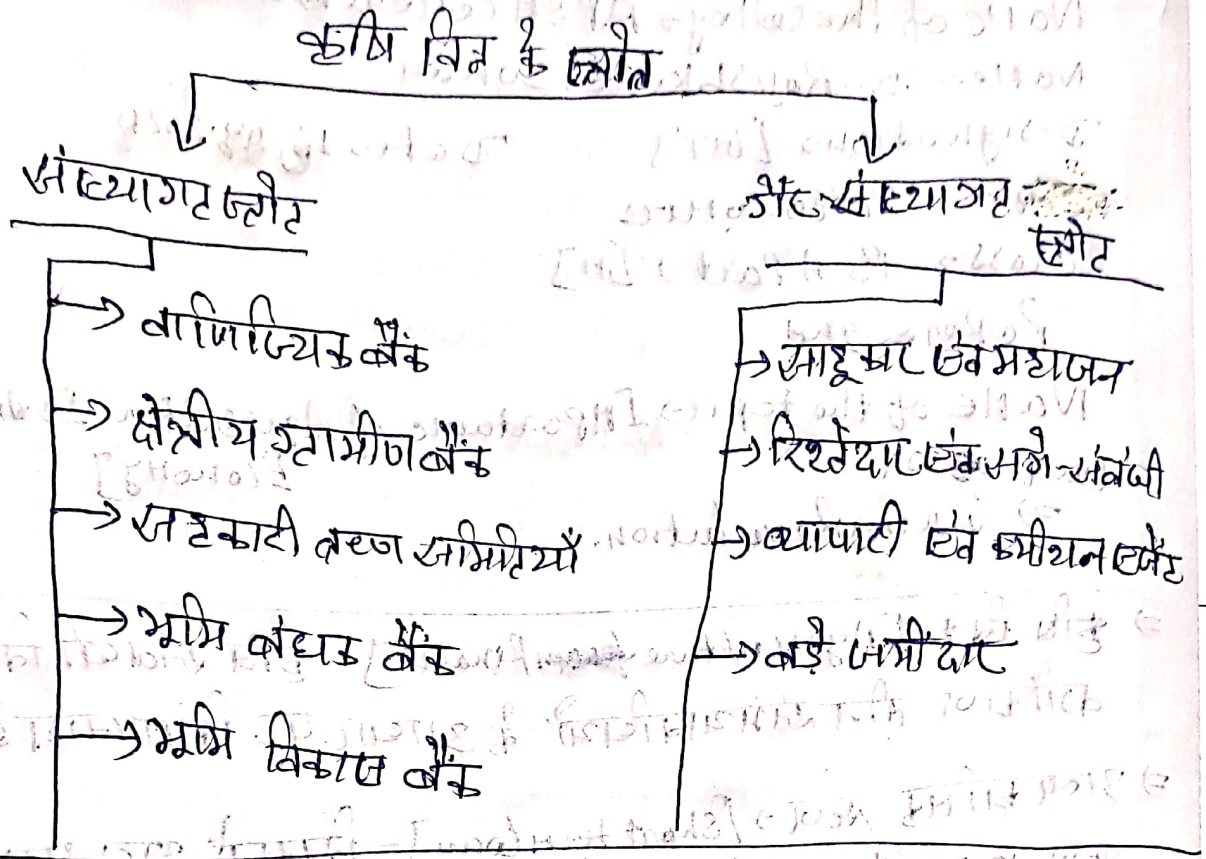

कृषि वित्त के स्रोत

संस्थागत स्रोत
- वाणिज्यिक बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- सहकारी ऋण समितियाँ
- भूमि बंधक बैंक
- भूमि विकास बैंक

गैर संस्थागत स्रोत
- साहूकार एवं महाजन
- रिश्तेदार एवं सगे-संबंधी
- व्यापारी एवं कमीशन एजेंट
- बड़े जमींदार

⇒ वर्तमान में भारत सरकार प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्र के विकास हेतु कृषि ऋण का प्रावधान करती है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में कृषि संबंधी क्रेडिट को 11 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही सरकार द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को भी कृषि ऋण के संबंध में प्राथमिक क्षेत्र के आधार से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल समायोजित निवल बैंक ऋण का 18% हिस्सा कृषि ऋण के रूप में कृषि क्षेत्र को देना होता है।